

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016/कार्तिक 27, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 234
No. 242]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016/KARTIKA 27, 1938	[N.C.T.D. No. 234

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

सं. एफ. 16/1/श.वि.(जल)/2000-2001/पी.एफ./1903.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की उप-धारा 3 (2) (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित निगम पार्षदों को जो कि सम्बन्धित दिल्ली नगर निगम के महापौर द्वारा नामित हैं को दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य उस तिथि से नियुक्त करते हैं, जिस तिथि से वह अपना कार्यभार संभाल लें, जो कि निम्नलिखित है :—

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति
01	श्री राम नारायण दुबे, निगम पार्षद (वार्ड-240) पूर्वी दिल्ली नगर निगम	सदस्य
02	श्री एम. नागराजन, निगम पार्षद (वार्ड-184) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सदस्य

03	डॉ रजनी अब्बी, निगम पार्श्वद (वार्ड-11) उत्तरी दिल्ली नगर निगम	सदस्य
----	--	-------

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 की धारा 3 (5) के अंतर्गत उपरोक्त मनोनीत सदस्यों की सदस्यता लगातार दो वर्षों से अधिक नहीं होगी। यदि उपरोक्त सदस्यों की सदस्यता स्थानीय निकाय से किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाती है, तो उपरोक्त सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

जनक दिगल, प्रधान सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th November, 2016

F. No. (16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/1903.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 under sub-section 3 (2)(iv) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following Municipal Councilors nominated by Mayors of respective Municipal Corporations, as Members in Delhi Water Board, Delhi, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

<u>S. No.</u>	<u>Name</u>	<u>Designation</u>
1.	Sh. Ram Narayan Dubey Municipal Councilor (Ward-240) East Delhi Municipal Corporation	Member
2.	Sh. M. Nagrajan Municipal Councilor (Ward-184) South Delhi Municipal Corporation	Member
3.	Dr. (Ms) Rajni Abbi Municipal Councilor (Ward-11) North Delhi Municipal Corporation	Member

As per provision under sub-section 3 (5) of Delhi Water Board Act, 1998 above nominated members will not hold the office for more than two years and shall cease to hold office whenever they cease to be member of the respective Municipal Corporation.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
JANAK DIGAL, Pr. Secy. (Urban Development)